सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 24, बुधवार, शाके 1943-सितम्बर 15, 2021 *Bhadra 24, Wednesday, Saka 1943- September 15, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2021

एस.ओ.589 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 2(2)वित्त/कर/2021-44 दिनांक 19.07.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं.एफ.2(2)वित्त/कर/2021-44]

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक जुलाई 19, 2021

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन स्कीम, 2021 के उपबंधों के अधीन यथा परिभाषित और फायदे के लिए पहचान की गयी पात्र अलाभकारी संस्था के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पति के विक्रय, पट्टा या दान की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का, स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये हकदारी प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर, परिहार किया जायेगा।

[सं.एफ. 2(2)वित्त/कर/2021-44]

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव"।

Government Central Press, Jaipur.